

# झारखण्ड विधान सभा

## कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

[पंचम-सत्र]

गुरुवार, तिथि:- 17 मार्च, 2016 (ई०)

27 फाल्गुन, 1937 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-: प्रश्नोत्तर :-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- डॉ० जीतू चरण राम, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक:- 14.03.2016, 15.03.2016 एवं 16.03.2016 से स्थगित)
- (05)- सर्वश्री बादल, बिरंची नारायण एवं श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक:- 15.03.2016 एवं 16.03.2016 से स्थगित)
- (06)- श्री प्रकाश राम एवं श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक:- 15.03.2016 एवं 16.03.2016 से स्थगित)
- (07)- सर्वश्री कुणाल षडंगी, नलिन सोरेन एवं श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक:- 15.03.2016 एवं 16.03.2016 से स्थगित)
- (08)- श्री योगेश्वर महतो, डॉ० जीतू चरण राम एवं श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (भवन निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक:- 15.03.2016 एवं 16.03.2016 से स्थगित)

क०पू०उ०/---

- (09)- श्री स्टीफन मराण्डी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक:-16.03.2016 से स्थगित)
- (10)- श्री जयप्रकाश वर्मा एवं श्री रामकुमार पाहन,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक:-16.03.2016 से स्थगित)
- (11)- सर्वश्री शिवशंकर उरौव,ताला मराण्डी एवं श्री योगेश्वर महतो,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
(दिनांक:-16.03.2016 से स्थगित)
- (12)- डॉ0 जीतू चरण राम,श्री साधु चरण महतो एवं श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (13)- श्री प्रदीप यादव,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (14)- श्री स्टीफन मराण्डी एवं डॉ0 अनिल मुरमू,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (15)- श्रीमती गीता कोड़ा,श्री शशिभूषण सामाड़ एवं श्री दशरथ गागराई,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (16)- श्री राज कुमार यादव एवं श्री नलिन सोरेन,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- : समितियों का गठन :-
- (17)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।
- : सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-
- (18)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (19)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।
- : विधायी-कार्य :-
- औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2016
- (20)- श्रम नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि “औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(03)

- (21)- श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राज पलिवार, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (22)- श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि "औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016" पर विचार हो।
- (23)- श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि "औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016" स्वीकृत हो।

झारखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2016

- (24)- मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (25)- मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (26)- मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2016" पर विचार हो।
- (27)- मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2016" स्वीकृत हो।
- (28)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

बिनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०१/२०१६-२२५५/वि०स०, राँची, दिनांक- 16 मार्च, 2016 ई०।

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरोज कुमार  
16/3/2016

(सरोज कुमार)

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०१/२०१६-२२५५/वि०स०, राँची, दिनांक- 16 मार्च, 2016 ई०।

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सरोज कुमार  
16/3/2016

(सरोज कुमार)

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०१/२०१६-२२५५/वि०स०, राँची, दिनांक- 16 मार्च, 2016 ई०।

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरोज कुमार  
16/3/2016

(सरोज कुमार)

अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।